न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025 / 10

देवीशंकर पुत्र प्रेमचन्द जाति तेली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री बनवारी लाल नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 29.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 104 / 2019 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम मण्डाना, तह. लाडपुरा, जिला कोटा में हाल खसरा नंबर 1663 रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजी स्थित है। वादी का उक्त आराजीयात पर करीब 33 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कोट करके बाउण्ड्रीवाल कर रखी है। वादी ने उपरोक्त आराजीयात को काफी रूपया पैसा लगाकर मेहनत मजदूरी करके काबिल काश्त बनाया है। वादी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात में मेहनत करके पत्थर आदि निकाल कर उक्त आराजीयात को काश्त योग्य बनाया है। वादी उपरोक्त आराजीयात पर निरंतर करीब 33 वर्ष से भी अधिक समय से अबाध्य रूप से शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। वादी द्वारा उक्त खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हेक्टर व खसरा नंबर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात वाके ग्राम मण्डाना, तह. लाडपुरा, जिला कोटा राज, पर काफी वर्षों से निरंतर काबिज काश्त करके तिल्ली आदि की फसल करता आ रहा

है। वादी ने उक्त आराजीयात्त पर खसरा नंबर 1663 की 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजी को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु काफी समय पूर्व से जिला कलेक्टर महोदय कोटा, उपखण्ड अधिकारी कोटा केम्प प्रशासन न्याय आपके द्वार आदि को कई प्रार्थना पत्र समय समय पर दिये गये, लेकिन उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वादी के नाम आज तक भी नहीं किया, जबकि वादी भूमीहीन काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी उक्त आराजीयात को कानूनन अअपने नाम खातेदारी करवाने का अधिकारी है। वादी उक्त दोनो खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजीयात का काफी समय से तावान राशि, जुर्माना, लगान आदि जमा करता आ रहा है तथा वादी उक्त आराजीयात पर काफी समय से काबिज काश्त करता आ रहा है। इस कारण से वादी उक्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है अथवा वादी अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है। वादी की कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी अन्य व्यक्तियों को आवंटन कराने पर आमादा है तथा वादी के पास माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने व माननीय न्यायालय से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिये उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।क वाद कारण अंतिम बार दिनांक 18.12.18 को उत्पन्न हुआ, जब वादी द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रतिवादी को जर्ये वकील रजिस्टर्ड नोटिस 2 माह का दिलवाया गया, जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी उक्त नोटिस में वर्णित अवधि समाप्त होने पर भी प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार वादी को नही देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी लेण्डहोल्डर होने से उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित आराजी ग्राम मण्डाना तह. लाडपुरा कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा व निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे:– (1). यह कि वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम मण्डाना तह. लाडपुरा, जिला कोटा की हाल खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करे अथवा उक्त आराजी वादी को नियमन करने की सिफारिश की जावे. एवं आवंटन में प्राथमिकता दी जावे। (2). यह कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की उक्त वर्णित आराजीयात वाके मण्डाना, तह. लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1666 की रकबा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

0.48 हैक्टर आराजीयात को किसी भी व्यक्ति को आवंटन न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, प्रतिनिधी से ही करावे। (3). यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से मनन नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का किसी भी प्रकार का विवेचन नही किया है इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपना मुकदमा पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित कर दिया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की साक्ष्य पर विश्वास न करके अपीलांट का दावा खारिज करने में भारी त्रुटि की है इसलिये भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा सरसरी तौर पर से साक्ष्य का अवलोकन कर खारिज कर दिया गया इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कानूनानुसार विवेचन न करके भारी त्रुटि की है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाण्ट का दावा खारिज करके कानूनी भूल की है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे न तो तनकीयात कायम की और न ही तनकीवार तनकी का विवेचन किया गया इसलिये भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 निरस्त की जाकर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 1663 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1666 रकबा 0.48 हैक्टेयर का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.04.2022 में प्रतिवादी का जवाब बन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा इसी आदेशिका दिनांक 26.04.2022 में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत किए जाने का अंकन है। चूंकि हस्तगत वाद खातेदारी हक घोषणा का है अतः हस्तगत प्रकरण में वादी अपीलांट के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम की जाकर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 पारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08. 2024 सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 104/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 निरस्त की जाती

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें, कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा।